### <u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल</u> (<u>पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह</u>)

<u>व्य.वाद. क्रमांक :- 11ए / 16</u> संस्थापन दिनांक :- 21.12.2011 फाईलिंग नं. 233504000162011

- अनिल सिंह पिता भगवान सिंह रघुवंशी उम्र 30 वर्ष,
- 2. सुनिल सिंह पिता भगवान सिंह रघुवंशी उम्र 22 वर्ष
- लज्जाबाई पित भगवान सिंह रघुवंशी उम्र 49 वर्ष, सभी निवासी मोरखा, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>वादीगण</u>

#### वि रू द्ध

- 1. भगवान सिंह पिता विकल सिंह रघुवंशी (दिनांक 29.06.2014 को फौत घोषित) **द्वारा विधिक वारसान** 
  - अनिता पति अंजू सिंह रघुवंशी, उम्र 48 वर्ष निवासी मोरखा, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
  - 2. ललिता पति नंदिकशोर रघुवंशी, उम्र 30 वर्षे निवासी चिखलीकला, तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 3. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)
- 4. संतोष सिंह पिता टाटरू सिंह रघुवंशी, उम्र 40 वर्ष
- 5. गोकुल सिंह पिता टाटरू सिंह रघुवंशी, उम्र 35 वर्ष दोनों निवासी मोरखा तहसील मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>प्रतिवादीगण</u>

### <u> -: ( निर्णय ) :-</u>

# (आज दिनांक 22.02.2017 को घोषित)

1 वादीगण द्वारा यह दावा ख.नं. 464/2 रकबा 0.068 हे., ख.नं. 464/10 रकबा 0.164 हे., ख.नं. 549/2 रकबा 1.210 हे. स्थित ग्राम मोरखा तहसील आमला जिला बैतूल (अत्र पश्चात विवादित भूमि से संबोधित) की स्वत्व घोषणा, विभाजन एवं आधिपत्य हेतु तथा आधिपत्य उपरांत प्रतिवादीगण को हस्तक्षेप किये जाने से निषेधित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

- 2 प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि वादीगण तथा प्रतिवादी क. 01 एवं 02 एक ही परिवार के हैं तथा प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी भगवानसिंह के द्वारा प्रतिवादी संतोष एवं गोकुल के पक्ष में विवादित संपत्ति 464/10 रकबा 0.164 हे. का विक्रय किया गया है।
- 3 प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान प्रतिवादी क. 01 भगवानसिंह पिता विकलसिंह की मृत्यु हो चुकी है। तत्पश्चात उनके वारसानों (पुत्रियों) प्रतिवादी क. 01 एवं 02 को अभिलेख पर लिया गया है।
- 4 वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी तथा प्रतिवादी क. 01 एवं 02 एक ही परिवार के हैं। विवादित संपत्ति वादीगण की पैतृक संपत्ति है। प्रतिवादी क. 01 जो कि वादीगण के पिता हैं तथा जिनकी वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है, उनके द्वारा वाद के लंबन के दौरान प्रतिवादी क. 04 एवं 05 को विवादित संपत्ति का विक्रय कर दिया गया है। वादीगण के पिता भगवानिसंह शराब पीने के एवं जुआ खेलने के आदी थी। उन्होंने बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता के विवादित संपत्ति का विक्रय कर दिया है। जबिक विवादित संपत्ति पैतृक होने के कारण जन्म से वादीगण का अधिकार है तथा विवादित संपत्ति पर 1/4–1/4 अंश है। वादीगण के पिता भगवानिसंह के द्वारा अपने अंश से अधिक विवादित संपत्ति का विक्रय किया गया है। अतः प्रतिवादी क. 04 एवं 05 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र से वादीगण का अधिकार प्रभावित नहीं होता है। फलतः वादीगण द्वारा यह दावा विवादित संपत्ति पर अपने 1/4 अंश की घोषणा, विभाजन, आधिपत्य एवं तत्पश्चात प्रतिवादी क. 04 एवं 05 के द्वारा हस्तक्षेप किये जाने से निषेधित किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है।
- 5 प्रतिवादी क. 01 भगवानसिंह के वारसानों प्रतिवादी अनिता एवं लिलता के द्वारा जवाबदावा पेश कर वाद पत्र के समस्त अभिवचनों को स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी क. 04 एवं 05 संतोष तथा गोकुल के द्वारा लिखित में जवाबदावा पेश कर उसमें यह अभिवचन किया गया कि विवादित संपत्ति प्रतिवादी क. 01 भगवानसिंह की स्वअर्जित संपत्ति है जिसका उल्लेख स्वयं भगवानसिंह ने विक्रय पत्र दिनांक 29.03.2012 में किया है। प्रतिवादी भगवानसिंह को अपने परिवार की शिक्षा, दिक्षा, बीमारी एवं खेती के विकास के लिए पैसों की आवश्यकता थी, उन पर कर्ज भी था इसलिए भगवानसिंह ने दिनांक 29.03.2012 को विवादित संपत्ति ख.नं. 464/10 का विक्रय कर दिया। क्रय दिनांक से प्रतिवादीगण का क्रय की गयी विवादित भूमि पर आधिपत्य भी है। स्वअर्जित संपत्ति होने से वादीगण का उपर्युक्त विवादित भूमि पर कोई हक हिस्सा नहीं है और न ही वे विभाजन की पात्रता रखते हैं। अतः दावा सव्यय निरस्त किया

जावे।

6 वाद के उचित न्यायपूर्ण निराकरण हेतु पूर्व पीठासीन अधिकारी द्व ारा निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी और साक्ष्य विवेचना उपरांत उनके समक्ष मेरे द्वारा निष्कर्ष अंकित किये गये हैं:—

Φ.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या मौजा ग्राम मोरखा, तहसील आमला जिला बैतूल स्थित ख.नं. 464/2, 464/10, 549/2 भूमि वादीगण की पैतृक खानदानी भूमि है ?	
2.	क्या वादीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि में से 1/4–1/4 अंश पाने की पात्रता रखते हैं ?	
3.	क्या वाद के लंबनकाल में प्रति.क. 01 द्वारा, प्रति.क. 03 एवं 04 को किया गया बैनामा अवैध एवं शून्य है ?	
4.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि पर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ?	
5.	सहायता एवं वाद व्यय ?	

# विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष वाद प्रश्न क. 01 का निराकरण

7 वादीगण का अभिवचन है कि विवादित भूमि ख.नं. 464/2, 464/10, 549/2 पैतृक व पूर्वजों के समय की भूमियां है। जबकि प्रतिवादी क. 03 व 04 ने विवातिद भूमियां स्व. भागवानिसंह की स्वअर्जित होने का अभिवचन किया है। वादी अनिलिसंह (वा.सा.—2) ने अपने कथनों में यह बताया है कि विवादित जमीन दादा से प्राप्त हुई थी इसलिए जमीन पर उसका 1/4 हक है तथा इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि विवादित संपत्ति पर उसके पिता का एकमात्र हक नहीं है। वादी साक्षी सुनील (वा.सा.—1) ने अपने कथनों में यह बताया है कि विवादित संपत्ति उनके पिता ने नहीं खरीदी थी बल्कि दादाजी ने खरीदी थी तथा पैरा क. 18 में यह बताया है कि पूर्व में उनके द्वारा कभी भी

विवादित संपत्ति पर 1/4 भाग के लिए कोई आवेदन पेश नहीं किया गया है।

- 8 वादी के द्वारा विवादित संपत्ति पैतृक होना बताया गया है। जबिक प्रतिवादी क. 04 एवं 05 ने विवादित संपत्ति में से क्य की गयी भूमि का भगवानिसंह का स्वअर्जित होना बताया है। वादीगण द्वारा विवादित भूमि के पैतृक होने का अभिवचन किया गया है। अतः वादीगण द्वारा विवादित भूमियों के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह देखा जाना है कि विवादित भूमियां वादीगण के पूर्वजों की है या नहीं। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अधिकार अभिलेख वर्ष 1971—72 के अवलोकन से विवादित भूमि 549/2 रकवा 6.730 हे. विकलिसंह के नाम दर्ज होना तथा संशोधन पंजी 1986—87 में ख.नं. 549/2 विकलिसंह के नाम बैनामा के आधार पर तथा ख.नं. 464 कुलसोबाई पित विकलिसंह के नाम बैनामा के आधार पर दर्ज होना प्रकट हो रहा है। तत्पश्चात वादी के द्वारा सीधे वर्ष 2010—11 की किश्तबंदी खतौनी प्रस्तुत किया गया है जिसमें विवादित भूमियां वादीगण के पिता भगवानिसंह के नाम पर दर्ज है। उपर्युक्त दस्तावेज किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2010—11 के अवलोकन से विवादित भूमियां जो कि प्रतिवादी क. 01 भगवानिसंह के नाम दर्ज है वह उसके पिता विकलिसंह एवं माता कुलसोबाई के नाम पर दर्ज भूमि का अंश भाग होना प्रकट हो रहा है।
- 9 संशोधन पंजी वर्ष 1986—87 के अवलोकन से विवादित भूमियां वादीगण के दादा विकलिसंह व दादी कुलसोबाई के द्वारा क्य किया जाना प्रकट हो रही है तथा किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2010—11 के अवलोकन से विवादित भूमि ख.नं. 549/2 व 464 के बटा नंबर 464/2 व 464/10 वादीगण के पिता के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रहे हैं। वादीगण के द्वारा न तो ऐसा अभिवचन किया गया है और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है कि वादीगण के पिता भगवानिसंह के नाम पर विवादित भूमियां किस प्रकार व किस आधार पर आयी। वादीगण के द्वारा वर्ष 1985—86 के पश्चात से वर्ष 2009 तक के कोई भी राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे यह पता चले कि वादीगण के पिता भगवानिसंह को विवादित भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। जबिक यह सर्वोत्तम साक्ष्य थी जिसके आधार पर वादीगण विवादित भूमि के पैतृक होने के संबंध में प्रस्तुत कर सकते थे। प्रकरण में वादीगण ने अपने पिता भगवानिसंह के भाई रामिकशोर (वा.सा.—4) को भी वादी साक्षी के रूप में परीक्षित कराया है। स्पष्टतः भगवानिसंह अपने पिता विकलिसंह की अकेली संतान नहीं है।
- 10 प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह भी प्रकट है कि विवादित संपत्ति ख.नं. 549/2 एवं ख.नं. 464 वादीगण के दादा विकलिसंह के द्वारा क्रय की गयी थी। स्पष्टतः यह विकलिसंह की स्वअर्जित संपत्ति थी जिस पर विकलिसंह एवं उनके पुत्रों तथा पुत्रों के पुत्रों अर्थात

वादीगण के मध्य कोई सहदायिकी निर्मित होना नहीं माना जा सकता। अतः ऐसी स्थिति में विवादित संपत्ति पर जन्म से ही वादीगण के पिता एवं स्वयं वादीगण का कोई अधिकार होने की उपधारणा नहीं की जा सकती। अभिलेख पर वादीगण के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे कि यह प्रकट हो कि वादीगण के पिता के नाम पर विवादित भूमि वादीगण के दादा विकलसिंह की मृत्यु उपरांत उत्तराधिकार अथवा वारसाना नामांतरण में प्राप्त हुई हो। विकलसिंह की मृत्यु उपरांत उनकी संपत्ति उनके पुत्रों व पुत्रियों के नाम पर आयी हो ऐसा भी कोई दस्तावेज नहीं है। साथ ही ऐसा कोई दस्तावेज भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं है जिससे कि यह प्रकट हो कि वादीगण के दादा विकलसिंह की मृत्यु उपरांत उनकी संपत्ति उनके पुत्रों के नाम पर संयुक्त रूप से आयी हो। ऐसी परिस्थितियों में उपलब्ध साक्ष्य से वादीगण के पिता भगवान सिंह को विवादित संपत्ति उनके पिता विकलसिंह व मां कुलसोबाई से प्राप्त हुयी, ऐसा निष्कर्ष निकाला जायेगा और इन परिस्थितियों में विवादित संपत्ति भगवानसिंह को उनके मां व पिता से प्राप्त होने के कारण उनकी स्वअर्जित मानी जायेगी। अतः यह नहीं माना जा सकता कि विवादित भूमियां वादीगण की पैतृक संपत्ति है। तदानुसार वाद प्रश्न क. 01 "नहीं" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

### वाद प्रश्न क. 03 का निराकरण

वादीगण ने प्रतिवादी क. 03 व 04 के पक्ष में भगवानसिंह के द्वारा विवादित भूमि ख.नं. 464 / 10 का विक्रय पत्र इस आधार पर अवैध होना कहा है कि भगवानसिंह को विक्रय का अधिकार नहीं था। साथ ही वादीगण के द्वारा यह भी अभिवचन किया गया है कि उनके पिता प्रतिवादी भगवानसिंह शराब पीने एवं जुआ खेलने के आदी थी। ऐसी कोई भी पारिवारिक आवश्यकता नहीं थी जिस कारण से उन्हें विवादित संपत्ति का विक्रय करना पडे। वादीगण के द्वारा अपने अभिवचनों के अनुरूप मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तृत की गयी है जिसमें वादी साक्षी अनिल (वा.सा.-2), रामिकशोर (वा.सा.-4), सुनील (वा.सा.-1) ने अपने कथनों में प्रतिवादी भगवानसिंह का शराब पीने एवं जुआ खेलने का आदी होना बताया है। साथ ही बचाव के इस सुझाव से इनकार किया है कि भगवानसिंह का अपनी पुत्रियों के विवाह एवं पुत्रों की शिक्षा में काफी पैसा खर्च हो गया था जिस वजह से उनके उपर कर्जे हो गया था इसलिए भगवानसिंह के द्वारा विवादित भूमि ख.नं. 464 / 10 का विक्रय किया गया। साक्षियों ने अपने कथनों में सुझाव दिये जाने पर यह भी बताया है कि विवादित संपत्ति का विक्रय किये जाने के पूर्व ही भगवानसिंह के द्वारा अपने पुत्र एवं पुत्रियों का विवाह किया जा चुका था। साथ ही भगवानसिंह के दोनों पुत्र वादी सुनील एवं अनिल सर्विस में थे। वादी साक्षी मनोज (वा.सा.-3) जो कि भगवानसिंह का पड़ोसी है उसने अपने कथनों में यह बताया है कि भगवानसिंह को जुआ खेलने या शराब पीने

की आदत होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तथा यह भी बताया है कि भगवानसिंह ने सभी पुत्र—पुत्रियों की शिक्षा एवं विवाह में पैसा लगाया था।

- 12 प्रतिवादी साक्षी गोकुल (प्र.सा.—1) एवं कुबेरसिंह (प्र.सा.—2) ने यह गलत होना बताया है कि भगवानसिंह को जुआ खेलने एवं शराब पीने की आदत थी। गोकुल (प्र.सा.—1) ने अपने कथनों में यह भी बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि भगवानसिंह को विवादित जमीन विक्रय किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
- प्रकरण में वाद प्रश्न क. 01 के निष्कर्षानुसार विवादित संपत्ति प्रतिवादी भगवानसिंह की स्वअर्जित होना प्रमाणित पायी गयी है जिसका व्ययन वे अपने जीवनकाल में करने के अधिकारी थे। चूंकि विवादित संपत्ति सहदायिक होना नहीं पायी गयी है। तब ऐसी स्थिति में पारिवारिक आवश्यकता संबंधी अभिवचन एवं उसके संबंध में की गयी मौखिक साक्ष्य का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः ऐसी दशा में यह नहीं माना जा सकता कि भगवानसिंह के द्वारा विवादित भूमि ख.नं. 464 / 10 का किया गया विक्रय अधिकारातीत था। विक्रय पत्र (प्रदर्श डी-1) रजिस्टर्ड है। प्रतिवादी साक्षी गोकुल (प्र.सा.-1) ने विवादित भूमि की रजिस्ट्री किये जाने के पूर्व विकेता भगवानसिंह को 500/ - रूपये एवं शेष संपूर्ण राशि रजिस्ट्री के समय दिया जाना बताया है। विक्रय पत्र के गवाह कुबेरसिंह (प्र.सा.-2) ने भी गोकुल (प्र.सा.-1) के अनुरूप कथन करते हुए प्रतिफल राशि में से 500 / - रूपये रिजस्ट्री के पूर्व एवं शेष राशि रिजस्ट्री के समय उसके समक्ष दिया जाना बताया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र (प्रदर्श डी-1) में विकय की गयी भूमि की स्पष्ट चतुर्सीमा लेख है। विवादित संपत्ति प्रतिवादी क. 01 के स्वत्व की होने के कारण उन्हें विवादित संपत्ति के किसी भी भाग के विक्रय का पूर्ण अधिकार था। अतः विक्रय पत्र अवैध व शून्य होना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। तदानुसार वाद प्रश्न क. 03 "नहीं" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

### वाद प्रश्न क. 02 का निराकरण

वाद प्रश्न क. 01 के निष्कर्षानुसार विवादित भूमियां वादीगण के पिता भगवानिसंह की स्वअर्जित होना प्रमाणित पायी गयी है तथा जिसमें से ख. नं. 464/10 का विक्रय भगवानिसंह के द्वारा किया जा चुका है। यह उल्लेखनीय है कि वादीगण के पिता की मृत्यु वाद लंबित रहने के दौरान हो चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के उपबंध आकर्षित होंगे।

विवादित भूमि ख.नं. 464/2 व 549/2 उत्तराधिकार में वादीगण अनिल, सुनिल व बहनें प्रतिवादी क. 01 व 02 तथा मां वादी क. 03 को प्राप्त होगी जिस पर उनका बराबर—बराबर 1/5—1/5 हक व हिस्सा होगा। वादीगण के द्वारा विवादित संपत्ति ख.नं. 464/2, 464/10, 549/2 पर अपने 1/4 अंश की घोषणा चाही गयी है जबिक ख.नं. 464/10 का भगवानसिंह के द्वारा विकय किया जा चुका है। अतः मात्र विवादित भूमि में से शेष ख.नं. 464/2 व 549/2 पर वादीगण व प्रतिवादी क. 01, 02 का 1/5—1/5 अंश होना पाया जाता है। अतः वाद प्रश्न क. 02 इस प्रकार निष्कर्षित किया जाता है कि वादीगण विवादित संपत्ति ख.नं. 464/10 रकबा 0.164 हे. को छोड़कर शेष विवादित संपत्ति ख.नं. 464/2 रकबा 0.068 हे. एवं ख.नं. 549/2 रकबा 1.210 हे. को अपने अंश अनुसार विभाजन कराकर आधिपत्य पाने की पात्रता रखते हैं।

### वाद प्रश्न क. 04 का निराकरण

प्रकरण में वाद प्रश्न क. 03 के निष्कर्षानुसार भगवानसिंह के द्वारा प्रतिवादी संतोष एवं गोकुल के पक्ष में विवादित संपत्ति में से ख.नं. 464 / 10 का विक्रय दिनांक 29.03.2012 को विधिवत किया जाना प्रमाणित पाया गया है। विकय उपरांत प्रतिवादी गोकुल एवं संतोष को क्य की गयी भूमि का आधिपत्य दिया जाना भी विकय पत्र दिनांक 29.03.2012 से प्रकट होता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों किश्तबंदी खतौनी एवं खसरा तथा नक्शा वर्ष 2014–15 प्रदर्श क्रमशः 2, 3, 4 के अवलोकन से प्रतिवादी संतोष एवं गोकुल का भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना प्रकट हो रहा है। यद्यपि वादी साक्षीगण सुनील (वा.सा.-1) एवं अनिल (वा.सा.-2) ने क्रय की गयी भूमि पर अपना आधिपत्य होना बताया है। जबिक प्रतिवादी गोकूल (प्र.सा.-1) ने विक्रय पत्र रजिस्टर्ड किये जाने समय कब्जा प्राप्त कर लेना बताया है। वाद प्रश्न क. 01 के निष्कर्षानुसार प्रतिवादी क. 01 भगवानसिंह के द्वारा विक्रय की गयी भूमि ख.नं. 464 / 10 पर कोई हक होना प्रमाणित नहीं पाया गया है। साथ ही वादीगण का न ही ऐसा अभिवचन है और न ही ऐसी कोई साक्ष्य है कि शेष विवादित भूमि ख.नं. 464/2 एवं 549/2 पर प्रतिवादीगण द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि पर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 04 "नहीं" के रुप में निष्कर्षित किया जाता है।

## वाद प्रश्न क. 05 का निराकरण

17 उपर्युक्तानुसार की गई साक्ष्य विवेचना के अनुसार वादीगण विवादित भूमि ख.नं. 464/2 रकबा 0.068 हे., ख.नं. 464/10 रकबा 0.164 हे., ख.नं. 549/2 रकबा 1.210 हे. स्थित ग्राम मोरखा तहसील आमला जिला बैतूल को पैतृक होना प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। साथ ही प्रतिवादी क. 01 द्व ारा प्रतिवादी क. 03 एवं 04 के पक्ष में विवादित भूमि में से ख.नं. 464/10 का किया गया विक्रय पत्र दिनांक 29.03.2012 अवैध एवं शून्य होना प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। साथ ही वादीगण यह प्रमाणित करने में भी असफल रहे हैं कि प्रतिवादीगण द्वारा उनके स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि पर हस्तक्षेप किया जा रहा है परंतु वादीगण का शेष विवादित भूमि ख.नं. 464/2 रकबा 0.068 हे., ख. नं. 549/2 रकबा 1.210 हे. पर वादीगण एवं प्रतिवादी क. 01 एवं 02 का 1/5—1/5 अंश होना प्रमाणित पाया गया है। फलतः दावा अंशतः स्वीकार कर निम्न आशय की डिकी पारित की जाती है :—

- 1. विवादित भूमि ख.नं. 464/2, 464/10, 549/2 वादीगण की पैतृक भूमि नहीं है।
- 2. वादीगण का उपर्युक्त विवादित भूमि में से मात्र ख.नं. 464/2 एवं 549/2 पर 1/5—1/5 अंश है।
- 3. वादीगण अपने अंश अनुसार राजस्व न्यायालय से विभाजन कराने के अधिकारी हैं।
- 4. प्रतिवादी क. 01 भगवानिसंह के द्वारा प्रतिवादी क. 03 एवं 04 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र दिनांक 29.03.2012 शून्य एवं अवैध नहीं है।
- 5. वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।
- 6. प्रकरण की परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्ष अपना—अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
- 7. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो खर्चे में जोड़ा जावे।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल